लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल – 462021
दूरभाष - 0755-2600115
www.educationportal.mp.gov.in, www. shikshaportal.mp.gov.in

क्र./ शिक्षा पोर्टल /2018-19 /24 भोपाल,दिनांक 01/11/2018

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला - इंदौर , धार

विषय : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदाय की जाने वाली मान्यता की प्रक्रिया के सम्बन्ध में
सन्दर्भ : अशासकीय संस्था श्री गुजराती प्राथमिक विद्यालय / आर. आर. एम. बी मिडिल स्कूल / अजमेरा मुकेश नेमीचंद भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल, लिटिल फ्लावर इंग्लिश मीडियम धार आदि

विषयान्तर्गत संदर्भित स्कूलों द्वारा अवगत कराया गया है कि पोर्टल पर इनके स्कूल डबल प्रदर्शित हो रहे है इसके कारण यह बच्चों का नामांकन रिपोर्ट नहीं कर पा रहे है ऐसी स्थिति और भी कई जिलों के स्कूलों मे भी है |

उल्लेखनीय है कि RTE पोर्टल के माध्यम से ही सभी अशासकीय विद्यालयों की जानकारी शिक्षा पोर्टल पर नामांकन, प्रोफाइल अपडेशन, छात्रवृत्ति आदि योजनाओं के क्रियान्वयन उपयोग की जाती है इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी स्कूलों की जानकारी सही-सही दर्ज हो | इसके लिए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :

१. यदि कोई स्कूल RTE पोर्टल पर एक बार रजिस्टर्ड हो गया है और तीन वर्ष पश्चात उनकी मान्यता समाप्त हो जाने पर नवीनीकरण की कार्यवाही पूर्व के रजिस्टर्ड स्कूल से ही की जाए, नवीन रजिस्ट्रेशन को स्वीकार न किया जाए | यह जिम्मेदारी पूर्णतः BRCC की है कि मान्यता के लिए प्रस्ताव फॉरवर्ड करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए |
२. यदि BRCC द्वारा पूर्व से स्कूल रजिस्टर्ड होते हुए भी नवीन रजिस्टर्ड स्कूल को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रपोजल जिला शिक्षा अधिकारी को फॉरवर्ड किया जाए तो सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा BRCC के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर संचालनालय एवं राज्य शिक्षा केंद्र को अवगत कराया जाए |
३. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान करते समय सही DISE कोड की प्रविष्टि की जाये इसके लिये जिले के DISE प्रभारी / प्रोग्रामर से सही DISE कोड की जानकारी लिखित में प्राप्त की जाए तदुपरांत मान्यता में DISE कोड कि प्रविष्टि की जाए ताकि उनके पूर्व वर्षों के विद्यार्थियों की जानकारी का भी सही सही रिकॉर्ड संधारित हो सके |
४. ऐसे विद्यालय जो केवल कक्षा ९ से १२ वी तक संचालित होते है और RTE में रजिस्टर्ड नहीं होते ऐसे विद्यालय (यदि कोई छूटा हो तो) की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ "उक्त विद्यालय में कक्षा १ से ८ तक संचालित नहीं होती है और कक्षा ९ से १२वी तक की मान्यता प्राप्त है" संचालनालय को प्रेषित की जायेगी |
५. जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला परियोजना समन्वयक SSA द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले में संचालित सभी प्रकार (शासकीय/ अशासकीय/नवोदय/संस्कृत/मदरसा आदि) के समस्त विद्यालय (सभी बोर्ड MPBSE/ CBSE के) पोर्टल पर रजिस्टर्ड है जो भी कक्षा १ से १२वी तक शिक्षा देते है | उक्त आशय का प्रमाणपत्र भी संयुक्त हस्ताक्षर से संचालनालय एवं राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित किया जाये |

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि उपरोक्त स्थिति के कारण कोई भी विद्यार्थी हित लाभ से बंचित न रहे और यदि ऐसा होता है तो सम्बंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी |

(जयश्री कियावत)
आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ.क्रमांक/ शिक्षा पोर्टल /2018 / 25 भोपाल दिनांक 01/11/2018

प्रतिलिपि:-

- संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु
- श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक NIC विंध्यांचल भवन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / समस्त जिला परियोजना समन्वयक (SSA)समस्त जिले की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में भी उपरोक्त स्थिती निर्मित न हो, यह सुनिश्चित करें |

आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.